



EPS के तहत उच्च पेंशन

प्रलिस के लिये:

EPFO, EPS, सर्वोच्च न्यायालय, कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014।

मेन्स के लिये:

EPS के तहत उच्च पेंशन।

चर्चा में क्यों?

[सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) के 4 नवंबर, 2022 के नरिणय के अनुसार, [कर्मचारी भवषिय नधि संगठन \(EPFO\)](#) ने अपने पुराने सदस्यों के एक वर्ग को [कर्मचारी पेंशन योजना \(EPS\)](#) के तहत उच्च पेंशन का वकिलप चुनने की अनुमता देने हेतु दशा-नरिदेश जारी कये हैं।

SC का नवंबर 2022 का नरिणय:

- सर्वोच्च न्यायालय ने [कर्मचारी पेंशन \(संशोधन\) योजना, 2014](#) को बरकरार रखा, लेकनि नई योजना का वकिलप चुनने की समय-सीमा को चार महीने बढ़ा दया।
- अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय EPFO सदस्यों, जनिहोंने EPS का लाभ उठाया है, को अगले चार महीनों में अपने वास्तवकि वेतन का 8.33% तक का वकिलप चुनने एवं योगदान करने का एक और अवसर प्रदान करता है, जबकि पेंशन योग्य वेतन का 8.33% पेंशन के लये 15,000 रुपए प्रतमिह तक सीमति है।
 - पूर्व-संशोधन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन की गणना पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने से पहले के 12 महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के औसत के रूप में की गई थी। पेंशन फंड की सदस्यता से बाहर नकिलने को लेकर संशोधनों ने इसे औसतन 60 महीने तक बढ़ा दया।
- न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सदस्यों को प्रतमिह 15,000 रुपए से अधिक वेतन का अतरिकित 1.16% योगदान करने की आवश्यकता वाला संशोधन कर्मचारी भवषिय नधि और वविधि प्रावधान अधनियम, 1952 का उल्लंघन करता है।

नए दशा-नरिदेश:

- नए दशा-नरिदेश कर्मचारियों के EPS के लये वास्तवकि मूल वेतन (मूल वेतन + DA) के 8.33% के बराबर की राशिकाटने के लये वडि की व्यवस्था करते हैं, जसिसे बड़ी राशिकाटने करने और उच्च पेंशन राशिकाटने करने में मदद मलिती है।
 - वर्तमान में कर्मचारियों से EPS योगदान पेंशन योग्य वेतन के लये अधिकतम 15,000 रुपए है।
- जो अंशधारक इसका वकिलप चुनते हैं, उनके लये सतिंबर 2014 से कर्मचारी भवषिय नधि (EPF) में जाने वाले नयिकताओं के हसिसे कभरजति बयाज के साथ EPS में स्थानांतरित कर दया जाएगा।
- लाभ प्राप्त करने हेतु मूल मानदंड हैं:
 - कर्मचारी जो 1 सतिंबर, 2014 से पहले सदस्य थे और उस तारीख को या उसके बाद भी सदस्य बने रहे।
 - कर्मचारी और नयिकता जनिहोंने 5,000 रुपए या 6,500 रुपए की वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दया था।
 - कर्मचारी और नयिकता जनिहोंने EPS सदस्य होने के दौरान संयुक्त वकिलप का प्रयोग नहीं कया था।

कर्मचारी पेंशन योजना (Employees' Pension Scheme- EPS):

- EPFO द्वारा प्रशासति EPS, वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। पेंशन फंड में PF कॉर्पस हेतु नयिकताओं के योगदान का 8.33% जमा करना होता है।
- यह 58 वर्ष की आयु में सेवानवितता के बाद संगठति क्षेत्र के कर्मचारियों हेतु पेंशन का प्रावधान करता है।
- जो कर्मचारी EPF के सदस्य हैं वे स्वतः ही EPS के सदस्य बन जाते हैं।

- कर्मचारी भवषिय नधि (Employees' Provident Fund- EPF) योजना में नयोक्ता तथा कर्मचारी दोनों कर्मचारी के मासकि वेतन (मूल वेतन और महँगाई भत्ता) का 12% योगदान करते हैं।
- EPF योजना उन कर्मचारियों हेतु अनविर्य है जो प्रतमाह 15,000 रुपए का मूल वेतन प्राप्त करते हैं।
- नयोक्ता के 12% हसिसे में से 8.33% EPS में जमा कया कया जाता है।
- केंद्र सरकार भी कर्मचारियों के मासकि वेतन का 1.16% योगदान करती है।

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. भारत में नयोजति अनयित मज़दूरों के संदरभ में नमिनलखिति कथनों पर वचिार कीजयि: (2021)

1. सभी अनयित मज़दूर कर्मचारी भवषिय नधि सुरक्षा के हकदार हैं।
2. सभी अनयित मज़दूर नयिमति कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार हैं।
3. सरकार अधसिचना द्वारा यह वनिरिदषिट कर सकती है किकोई प्रतषिटान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

[स्रोत: द हद्रि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/higher-pension-under-eps>

